राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1862/2024

लोकेश बेनीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, वन विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), अरण्य भवन, जयपुर (राज.)।
3. उप वन संरक्षक, करौली (राज.)।
4. रेंज अधिकारी, वन रेंज हिण्डौन (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.05.2024
आदेश की दिनांक : 29.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अमीन अली, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनरक्षक के पद पर रेंज हिण्डौन कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली में कार्यरत है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को नाका फेली का पुरा रेंज हिण्डौन से नाका सदर वन खंड चिनायठा कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, हिण्डौन किया गया है। परंतु अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना किसी उचित कारण के एवं बिना कोई आदेश जारी किये नवीन पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है, जिससे उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं हो पा रही है। इस प्रकार अपीलार्थी को बिना किसी कारण के उक्त आदेश के क्रम में कार्यमुक्त नहीं किया जाना नियम विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस जारी करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है

कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन स्थान नाका सदर वन खंड चिनायठा कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, हिण्डौन में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश नियमानुसार जारी किया गया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वनरक्षक के पद पर कार्यरत है। आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानान्तरण नाका फेली का पुरा रेंज हिण्डौन से नाका सदर वन खंड चिनायठा कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, हिण्डौन किया गया है। परंतु अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आदेश के क्रम में कार्यमुक्त नहीं किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि सक्षम स्तर से आदेश जारी होने के उपरांत उसकी पालना किया जाना आवश्यक है। जबकि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश की पालना में अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त नहीं किया गया, जो नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि आदेश दिनांक 20.02.2024 की पालना में अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन स्थान नाका सदर वन खंड चिनायठा कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, हिण्डौन में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जावे। उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा) **सदस्य**	**(शुचि शर्मा)** **सदस्य**